13-10-2014 राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ०।

आरोपीगण सहित श्री आर.बी.पाठक अधिवक्ता।🔬

प्रकरण अपराध विवरण हेतु नियत है।

आरोपीगण एवं फरियादी हीरा सोनी की ओर से अधिवक्ता श्री आर.बी. पाठक द्वारा एक राजीनामा आवेदन अंतर्गत धारा—320(2) एवं 320(8) दं.प्र.सं. का हस्ताक्षरित कर पेश कर व्यक्त किया गया है। प्रति ए.डी.पी.ओ. को प्रदान की गई।

फरियादी / आहत हीरा सोनी स्वतः उपस्थित। उसकी पहचान श्री आर.बी. पाठक अधिवक्ता ने की। पहचान में संदेह नही है। प्रार्थी / आहत से पूछे जाने पर उसने स्वैच्छया पूर्वक राजीनामा करना व्यक्त किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आरोपी के विरूद्ध धारा—294, 323/34, 506 भाग—दो भा.द.वि. के दण्डनीय अपराध में आरक्षी केन्द्र बिरसा द्वारा अभियोग पत्र पेश किया गया है। न्यायालय द्वारा आरोप पत्र विरचित किया गया है, जिसमें आरोपीगण के विरूद्ध धारा—294, 323/34, 506 भाग—दो भा.द.वि. के अंतर्गत प्रकरण का विचारण किया जा रहा है। आरोपीगण द्वारा कारित अपराध अंतर्गत धारा—294, 323/34, 506 भाग—दो भा.द.वि. का अपराध न्यायालय की अनुमित से शमनीय व राजीनामा योग्य है। राजीनामा आवेदन में व्यक्त किया गया है कि अब संबंध मधुर हो चुके है। फरियादी ने आरोपीगण से बिना डर, दबाव, लालच के स्वेच्छ्यापूर्वक राजीनामा कर लिया है। उभयपक्ष राजीनामा करने में सक्षम है। राजीनामा करने में कोई विधिक रूकावट नहीं है। उभयपक्ष के संबंध भविष्य में भी मधुर बने रहे इसलिए फरियादी/आहत हीरा सोनी को आरोपीगण से राजीनामा करने की अनुमित प्रदान की जाती है। प्रस्तुत राजीनामा आवेदन विधि विरूद्ध न होने से स्वीकार किया जाता है। फलतः आरोपीगण अनूज, आशीष, अशोक को धारा—294, 323/34, 506 भाग—दो भा.दं.वि. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।
प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति बांस की लकडी विधिवत् नष्ट की जावे।
प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अविलम्ब अभिलेखागार में जमा
किया जावे।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर ALIMAN PARENT PA

ATTARTA PARETA STATE A STATE A